न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–81 / 2021 जीसीएमएस न0 2021 / 88

उनवान –सरकार बनाम प्रहलाद सिंह (नोमिनी) मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज धौलपुर प्रा0लि0 , वगैरा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011)

<u>निर्णय</u> दिनांक –22.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री प्रहलाद सिंह (नोमिनी) पुत्र श्री रामरेखा सिंह उम्र 56 वर्ष जाति ठाकुर, मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज धौलपुर प्रा0लि0 , जी–50–57,एण्ड 58–65 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ग्रोथ सेंटर, धौलपुर निवासी 31 / 163 / 7 / 3सी, कृष्णापुरी चमरौली मोड, आगरा उ0प्र0एंव मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड एण्ड. धौलपुर प्रा0लि0 जी–50–57,एण्ड 58–65 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ग्रोथ सेंटर, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को समय सांय 3.30 बजे अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की निर्माण ईकाई(गोदाम) में रखे लगभग 400 कार्टून रखे हुए थे प्रत्येक कार्टून में 500 ग्राम के 20 पैकेट लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) आम जनता को बिक्रय करने हेतु रखा था इस लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश)में मिलावट का शक होने पर उक्त लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) में से 500 ग्राम के 4 पैकेट 2 किलोग्राम लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) नमूना डी–1937 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 822 / एक्ट / 2020 / 897 दिनांक 23.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी **मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज धौलपुर प्रा0लि0 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश सिकरवार** उपस्थित हुए। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 8.7.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर नोटिस का जबाव पेश करने हेतु समय चाहा उनको जबाव पेश करने हेतु समय देते हुये तारीख पेशी 22.7.2021 जबाव पेश करने हेतु नियत की गई लेकिन उनके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया अतः उनका जबाव का अवसर बंद किया गया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड लो फेट डेयरी वाईटनर(धौलपुर फ्रेश) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

अतः अप्रार्थी श्री प्रहलाद सिंह (नोमिनी) पुत्र श्री रामरेखा सिंह उम्र 56 वर्ष जाति ठाकुर, मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज धौलपुर प्रा0लि0 , जी–50–57,एण्ड 58–65 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ग्रोथ सेंटर, धौलपुर निवासी 31/163/7/3सी, कृष्णापुरी चमरौली मोड, आगरा उ0प्र0एंव मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड एण्ड. धौलपुर प्रा0लि0 जी–50–57,एण्ड 58–65 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ग्रोथ सेंटर, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 40,000/–रुपये (चालीस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.शर्मा)
न्याय–निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)